

# केन्द्रीय विद्युत वित्तीयामक आयोग

वडा, रवा एवं ८वा नला बांधालको, मुमुक्षु देश, उत्तर प्रदेश २०१००२९

याचिका सं. ४९१ / टीएल / २०२४

दिनांक: ३.३.२०२५

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

**पारेषण घटक कुरावर ट्रांसप्रिशन लिमिटेड, बी-१, कुतुब हस्तीदेशमल परियां, कटवारिण सराय, नई दिल्ली- ११००१६ द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रबालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात "परियोजना" कहा गया है) पर "सजस्थान आर्केड फेल-IV (फार्ट-२ : ५.५ जीडब्ल्यू) (जैसलमेर / बाडमेर कॉम्प्लेक्स) : धार्ट एच१ से विद्युत की निकासी के लिए अंतर-सञ्चिक पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं १४ और १५ के अधीन आवेदन किया गया है:**

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रबालन (सीओडी) की धोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
१.	<b>पारेषण घटक का नाम :</b> २x330 एमवीएआर ७६५ केवी बस रिएक्टर और १x125 एमवीएआर, ४२० केवी बस रिएक्टर सहित ७६५ / ४०० केवी (२x1500 एमवीए), ४०० / २२० केवी (२x500 एमवीए) एवं २२० / १३२ केवी (३x200 एमवीए) कुरावर एम / एस की स्थापना। <ul style="list-style-type: none"> <li>• ७६५ / ४०० केवी १५०० एमवीए आईसीटी-२ प्रक्रियेर यूनिट सहित ५०० एमवीए का सिगल यूनिट)</li> <li>• ४०० / २२० कवी ५०० एमवीए आईसीटी-२</li> <li>• १२० / १३२ कवी २०० एमवीए आईसीटी-३</li> <li>• ८५ कवी भाइसोटी बे-२</li> <li>• ११० कवी भाइसोटी बे-४</li> <li>• ८० कवी भाइसोटी बे-५</li> <li>• १२ कवी भाइसोटी बे-३</li> <li>• ३०० एमवीएआर ७६५ केवी बस रिएक्टर-२</li> <li>• १५ एमवीएआर ४२० केवी बस रिएक्टर-१</li> <li>• ७६५ कवी रिएक्टर बे-२</li> <li>• ७६५ कवी लाइन बे-४</li> <li>• ४०० कवी लाइन बे-४</li> <li>• ४०० कवी रिएक्टर बे-१</li> <li>• २२० केवी बीसी-१</li> <li>• २२० केवी टीबीसी-१</li> <li>• १३२ केवी टीबीसी-१</li> <li>• ११० एमवीएआर, ७६५ केवी, १-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट)-१</li> <li>• ८० एमवीएआर, ७६५ केवी, १-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट)-१</li> </ul> <b>भावी प्रावधान :</b> के लिए स्थान <ul style="list-style-type: none"> <li>• बे सहित ७६५ / ४०० केवी आईसीटी-४ नं.</li> <li>• स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित ७६५ केवी लाइन बे-८ नं.</li> <li>• बे सहित ७६५ केवी बस रिएक्टर: २ नं.</li> <li>• ७६५ केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: १ सेट</li> <li>• स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित ४०० केवी लाइन बे-८ नं.</li> <li>• बे सहित ४०० / २२० आईसीटी - ६ नं.</li> <li>• बे सहित ४२० केवी बस रिएक्टर: ३ नं.</li> <li>• ४०० केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: १ सेट</li> <li>• २२० केवी लाइन बे: १२ नं.</li> <li>• २२० केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: १ सेट</li> <li>• २२० केवी बीसी एवं टीबीसी : १ नं.</li> <li>• बे सहित २२० / १३२ केवी आईसीटी: ५ नं.</li> <li>• १३२ केवी लाइन बे: १६ नं.</li> <li>• १३२ केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: १ सेट</li> <li>• १३२ केवी टीबीसी - १ नं.</li> <li>• एमएससी (२x125 एमवीएआर) सहित स्टेटकॉम (५३०० एमवीएआर) एवं ४०० केवी बे सहित एमएसआर (१x125 एमवीएआर)</li> </ul> <b>मंदसौर – कुरावर ७६५ केवी डी / सी लाइन</b>	एसपीवी अंतरण से २४ मास (१५.१०.२०२६)	योजना के सभी घटकों को साथ-साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक दूसरे पर आश्रित है।
२	<b>मंदसौर – कुरावर ७६५ केवी डी / सी लाइन</b>  <b>मंदसौर – कुरावर ७६५ केवी डी / सी लाइन के दोनों सिरे पर प्रत्येक सर्किट पर २४० एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• २४० एमवीएआर, ७६५ केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर-४ (मंदसौर सिरे के लिए २ एवं कुरावर सिरे के लिए २)</li> <li>• ७६५ केवी लाइन रिएक्टर के लिए डिविंग उपकरण-४ (मंदसौर सिरे के लिए २ एवं कुरावर सिरे के लिए २)</li> <li>• ८० एमवीएआर, ७६५ केवी, १-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट) – मंदसौर सिरे के लिए १ नं.</li> </ul> <b>मंदसौर – कुरावर ७६५ केवी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए मंदसौर एस / एस पर</b>		

5.	कुरावर पर इंदौर – भोपाल 765 के बी एस / सी लाइन का लीलो	
6.	कुरावर – आष्टा 400 के बी डी / सी (क्षेत्र एसीएसआर / एएसी / एएल59 मूज समतुल्य) लाइन	
7.	कुरावर – आष्टा 400 के बी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए आष्टा (एमपी) एस / एस पर 400 के बी लाइन बे का 2 नं. • 400 के बी लाइन बे – 2 नं. [आष्टा (एमपी) सिरे के लिए]	
8.	आष्टा पर इंदौर – इटारसी 400 के बी डी / सी लाइन के एक सर्किट का लीलो	
9.	आष्टा पर इंदौर – इटारसी 400 के बी डी / सी लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए आष्टा (एमपी) एस / एस पर 400 के बी लाइन बे का 2 नं. • 400 के बी लाइन बे – 2 नं. [आष्टा (एमपी) सिरे के लिए]	
10.	शुजलपुर – कुरावर 400 के बी डी / सी (क्षेत्र एसीएसआर / एएसी / एएल59 मूज समतुल्य) लाइन	
11.	शुजलपुर – कुरावर 400 के बी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए शुजलपुर (पीजी) एस / एस पर 400 के बी लाइन बे का 2 नं. • 400 के बी लाइन बे – 2 नं. [शुजलपुर (पीजी) सिरे के लिए]	

नोट:

क) एमपीपीटीसीएल ने आष्टा (एमपी) एस / एस पर 2 नं. 400 के बी बे के लिए स्थान की उपलब्धता की पुष्टि की है और अतिरिक्त बे 2 नं. के लिए, एमपीपीटीसीएल ने सूचित किया है कि निकटवर्ती भूमि प्राइवेट भूमि है और अपेक्षानुसार उनकी लागत पर परियोजना विकासकर्ता द्वारा क्रय की जा सकती है।

ख) ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच1 और एच2 पैकेजों को कार्यान्वयन सुयोजित किया जाएगा।

ग) विषयगत योजना का टीएसपी मंदसौर – कुरावर 765 के बी डी / सी लाइन पर अंतर-ट्रिपिंग योजना का कार्यान्वयन करेगा (मुख्य लाइन ब्रेकर सहित मंदसौर / कुरावर सिरे पर स्विचबल लाइन रिएक्टर की ट्रिपिंग के लिए।)

घ) स्विचबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

ड) मंदसौर एस / एस का विकासकर्ता 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के 2 नं. के लिए स्थान और स्पेयर 80 एमवीएआर सिंगल फेज रिएक्टर यूनिट के लिए स्थान सहित मंदसौर – कुरावर 765 के बी डी / सी लाइन के लिए 2 नं. 765 के बी लाइन बे के लिए स्थान प्रदान करेगा।

च) पावरग्रिड शुजलपुर – कुरावर 400 के बी डी / सी लाइन के लिए शुजलपुर एस / एस पर 2 नं. 400 के बी लाइन बे के लिए स्थान प्रदान करेगा।

छ) कार्यान्वयन टाइमफ्रेम : एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 24 मास।

2. सदून द्रासमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु सस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 491 / टीएल / 2024 में दिनांक 28.2.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड कुरावर द्रासमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को बेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 19.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।